समक्ष डीएस तेवतिया और एमएम पुंछी, माननीय न्यायमूर्ति

बीएल डालमिया और अन्य - *याचिकाकर्ता।*

190

बनाम

हरियाणा राज्य - *प्रतिवादी।*

1984 *की आपराधिक पुनरीक्षण संख्या* 1631

16 अप्रैल 1986

भारतीय दंड संहिता, 1868 - *धारा* 21, *खंड बारहवां (बी) - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (* 1947 का II) - *धारा* 5(1) *और* 5(2) - *एक राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी - क्या वह धारा* 21 के खंड बारहवें (बी) के तहत *लोक सेवक है - ऐसे कर्मचारी - क्या भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं।*

माना गया कि अधिग्रहण अधिनियम (बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के संदर्भ में 'बॉडी कॉरपोरेट' और 'कॉर्पोरेशन' शब्दों का परस्पर उपयोग करते हुए उदार निर्माण किया जाना चाहिए , ताकि कर्मचारियों के संबंधित नए बैंकों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के खंड बारहवें (बी) के संदर्भ में लोक सेवक के रूप में माना जा सकता है, जो उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अर्थ में लाता है। उनके द्वारा किए गए कदाचार के लिए एक विशेष न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। इस प्रकार यह माना जाना चाहिए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को धारा 21 के प्रयोजनों के लिए लोक सेवकों के रूप में माना जाना चाहिए और इस प्रकार वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हैं।

(पैरा 4)

इस मामले से जुड़े कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए इस मामले को 17 जुलाई, 1985 *को माननीय श्री न्यायमूर्ति केपीएस संधू द्वारा बड़ी पीठ को भेजा गया था। माननीय श्री न्यायमूर्ति डीएस तेवतिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति एमएम पुंछी की खंडपीठ ने अंततः* 16 *अप्रैल,* 1986 को मामले का फैसला किया।

श्री वीएम जैन, विशेष न्यायाधीश (हरियाणा) अम्बाला के 25 *अगस्त,* 1984 *आदेश के विरुद्ध* धारा 401 *के तहत पुनरीक्षण- उक्त दोनों आरोपी (एमके कपिला और राम नवास) भारतीय दंड संहिता* की धारा 21 के तहत लोक सेवक थे और सभी आरोपियों पर धारा 5 (1) *(डी) के साथ धारा* 5(2) और *अधिनियम की धारा* 120-बी *आईपीसी* के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के वकील केके अग्रवाल ।

प्रतिवादी की ओर से एजी हरियाणा अरविंद गोयल ।

निर्णय

एमएम पुंछी , माननीय न्यायमूर्ति

1. इन चार याचिकाओं (पुनरीक्षण संख्या 1984 का 1631, 1663, 1769 और 1770) को एक ही आदेश द्वारा आसानी से निपटाया जा सकता है। इन्हें इस न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा संयुक्त रूप से डिवीजन बेंच को कानून के एक सामान्य प्रश्न को निपटाने के लिए भेजा गया है कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 , खंड 12 (बी) के तहत लोक सेवक हैं।

2. बलवंत सिंह (अब मृत) 1984 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1663, 1769 और 1770 में पुनरीक्षण-याचिकाकर्ता हैं। उनकी मृत्यु पर ये पुनरीक्षण याचिकाएँ समाप्त हो जाती हैं क्योंकि उनके किसी भी करीबी रिश्तेदार ने याचिकाकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित होने के लिए अदालत से संपर्क नहीं किया है। हालाँकि, 1984 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1663 में उस विशेष मामले में सह-अभियुक्त भगत सिंह ने पुनरीक्षण याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल होने की अनुमति मांगी है। आधार यह लिया गया कि चूंकि पुनरीक्षण याचिका समाप्त होने की संभावना थी, इसलिए उन्हें याचिका पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए। यह दलील मानी नहीं जा सकती। उन्हें मृतक बलवंत सिंह के स्थान पर याचिकाकर्ता बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चौथी याचिका यानी आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1631/1984 में याचिकाकर्ता बैंक कर्मचारी नहीं हैं परंतु दो व्यवसायी हैं। अभियोजन पक्ष का आरोप यह है कि कालका में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के प्रबंधक के रूप में बलवंत सिंह और बैंक के कुछ अन्य सह-आरोपी कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य ग़ैर करंचारियों ने वित्तीय लेन-देन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (1) (डी) के साथ पठित धारा 5 (2) और धारा 123 बी के साथ पठित धारा 420 भारतीय दंड संहिता के तहत विचारणीय अपराध किया था। बलवंत सिंह की मृत्यु के बावजूद यह सवाल अभी भी उठाया जा रहा है कि क्या बलवंत सिंह और अन्य बैंक कर्मचारी (सह-अभियुक्त) भारतीय दंड संहिता की धारा 21 , खंड 12 (बी) के अर्थ के तहत लोक सेवक थे। ट्रायल न्यायाधीश के समक्ष एक आपत्ति ली गई और उनके जवाब पर आरोपी के खिलाफ बारह याचिकाएं दी गईं। इसलिए किसी भी स्थिति में इस प्रश्न पर निर्णय होना ही चाहिए।

3. याचिकाकर्ताओं के मामले का मुख्य आधार **ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य, 1982 (2) सीआरआईएलजे 2230** में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ का फैसला है । वहां सवाल यह उठा कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी धारा 197 , दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के संदर्भ में लोक सेवक थे। बेंच ने जवाब दिया कि वे नहीं थे। एमएल जैन, माननीय न्यायाधीश द्वारा लिखित मामले के अनुपात को उनके द्वारा

रघुनाथ राय कुमार बनाम बीएन खन्ना और अन्य, 1984(55) कंपनी कैस 518 में भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के खंड नौवें के संदर्भ में लागू और आगे बढ़ाया गया था। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने **एससी अग्रवाल बनाम यूपी राज्य, 1976 ऑल एलजे 922** और **कुरियन बनाम केरल राज्य, 1982 सीआरआई एलजे 780 (केआर)** पर निर्भरता की और यह तर्क दिया कि ऐसे बैंक कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 को आकर्षित करने वाले लोक सेवक हैं और सबसे बढ़कर, प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के एक फैसले **कुंडल लाल शर्मा बनाम पंजाब राज्य, 1985 सीआरआईएलजे 1411** पर भरोसा किया गया है। जिसमें हममें से एक ने कानून का निम्नलिखित प्रश्न उठाया:-

"किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कानूनी स्थिति या चरित्र क्या है और इसकी सेवा या वेतन में व्यक्तियों की स्थिति क्या है?" और इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है: -

"... ... ...

यह मेरा सुविचारित विचार है कि अधिग्रहण अधिनियम (बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970) के संदर्भ में 'निकाय कॉर्पोरेट' और 'निगम' शब्दों का परस्पर उपयोग करते हुए उदार निर्माण किया जाना चाहिए, इसलिए कि संबंधित नए बैंक के कर्मचारियों को लोक सेवक के रूप में माना जा सकता है या भारतीय दंड संहिता की धारा 21 का उद्देश्य उन्हें भ्रष्टाचार अधिनियम (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की धारा 5 के अर्थ में लाना है, कदाचार के लिए एक विशेष न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त दोहरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक की कानूनी स्थिति और चरित्र बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा या उसके तहत स्थापित एक निगम है । इसकी सेवा में वेतन एक लोक सेवक का है जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में कहा गया है।

इस मामले में इस न्यायालय का दृष्टिकोण माननीय एकल न्यायाधीश के ध्यान में नहीं लाया गया।

4. **ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मामला (सुप्रा)** में माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला अपील में ले जाया गया है और प्रश्न पर एक आधिकारिक घोषणा अपेक्षित है। फिर भी हमें उपरोक्त अन्य उच्च न्यायालयों के उपरोक्त चार मामलों और इस न्यायालय द्वारा **कुंदन लाल शर्मा के मामले (सुप्रा**) में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के अनुपात की जांच करने की आवश्यकता है, जिसने उस दृष्टिकोण में आने के लिए व्यावहारिक रूप से उन सभी मामलों को ध्यान में रखा है। हमने कुन्दन लाल शर्मा के मामले (सुप्रा) पर दोबारा गौर किया है और हमारा विचार है कि यह कानून की सही स्थिति बताता है और हम इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को इस उद्देश्य के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में लोक सेवक माना जाना चाहिए। और इस प्रकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपों के लिए विशेष न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है। हमें कुन्दन लाल शर्मा के मामले

(सुप्रा) में दिए गए अनुपात का विस्तार करने या उसके तर्क को दोहराने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है ।

5. तदनुसार, हम संदर्भ का उत्तर सकारात्मक रूप से यह मानते हुए देते हैं[193] कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक हैं। इस प्रकार विशेष न्यायाधीश कुरूक्षेत्र के समक्ष मुकदमा, जिसमें याचिकाकर्ताओं को आरोपी के रूप में रखा गया है, बिल्कुल सही था। अत: ये याचिकाएं खारिज की जाती हैं। आपराधिक विविध. क्रिमिनल पुनरीक्षण क्रमांक 1986 में क्रमांक 1270 और 1984 का 1663 भी निस्तारित हो जायेगा।

(डीएस तेवतिया), माननीय न्यायमूर्ति - मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा